



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Kadar Nawaz Khan
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

क्रमांक : 003/2019./स.नि.अनु./324/2025/245
दिनांक : 09.09.2025

अधिसूचना

विद्या परिषद की दिनांक 30.07.2025 (विस्तारित बैठक दिनांक 11 एवं 12 अगस्त, 2025) को आयोजित 45वीं बैठक की मद संख्या-32 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में, विश्वविद्यालय में संचालित समस्त शैक्षणिक कार्यक्रमों (स्नातक, स्नातकोत्तर, पी.जी. डिप्लोमा, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम) की प्रवेश क्षमता (Intake Capacity) की पुनर्समीक्षा करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है।

- | | |
|--|--------------|
| 1. प्रो. जनार्दन कुमार तिवारी, अधिष्ठाता, विधि विद्यापीठ | – अध्यक्ष |
| 2. समस्त अधिष्ठाता | – सदस्य |
| 3. परीक्षा नियंत्रक | – सदस्य |
| 4. सहायक कुलसचिव (अकादमिक) | – सदस्य सचिव |

समिति दिनांक 08.10.2025 (बुधवार) तक अपनी अनुशंसाएँ सौपेगी।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत की जाती है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान)
09/09/25

प्रति (ई-मेल द्वारा) : उपर्युक्त समस्त सम्बन्धिता

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति सचिवालय
2. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केन्द्र निदेशक एवम् क्षेत्रीय केन्द्रों के अकादमिक निदेशक और प्रभारी
3. परीक्षा नियंत्रक
4. अकादमिक विभाग
5. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. संबंधित पत्रावली